राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 1473/2021

1. लीलाधर पुत्र केवलानन्द
2. श्रवण कुमार पुत्र केवलानन्द जाति ब्राहमण निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. ब्नवारी लाल पुत्र मिश्रा प्रसाद जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
2. पवन कुमान पुत्र जगदीश अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0
3. राजेश देवी पत्नी जगदीश अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
4. रामकला पुत्री रामकुमार अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
5. रामफल पुत्र जगदीश समस्त जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
6. विरेन्द्र पुत्र रामकुमार
7. सुभराम यादव पुत्र जसवन्त
8. शर्मिला पुत्री जगदीश
9. सनेहरा पुत्री रामकुमार
10. सुमन पुत्री जगदीश समस्त जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
11. सुरेन्द्र पुत्र रामकुमार
12. सुशीला पुत्री जगदीश
13. होशियार पुत्र जगदीश समस्त जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
14. नन्दलाल पुत्र मातादीन
15. बलबीर पुत्र प्रभुदयाल
16. बिमला बाई पुत्री प्रभुदयाल
17. भूप सिंह पुत्र रामदयाल समस्त जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
18. मुर्ति बाई पुत्री प्रभुदयाल
19. रामनिवास पुत्र रामदयाल
20. विजय सिंह पुत्र मातादीन समस्त जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
21. सहीराम पुत्र प्रभुदयाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:27 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

22. अजीत सिंह पुत्र बनवारी
23. जगवीर पुत्र रामवतार
24. दीपचन्द पुत्र खमाराम
25. बनिता पुत्री रामवतार
26. मन्जू पुत्री बनवारी समस्त जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
27. मनभरी पत्नी रामवतार
28. रमेश कुमार पुत्र बनवारी
29. राजवीर पुत्र रामवतार
30. लाली देवी पत्नी बनवारी
31. शमशेर पुत्र रामवतार
32. गुलाराम उर्फ जगत सिंह पुत्र माणाराम उर्फ मातीया समस्त जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
33. उर्मिला पुत्री केवलानन्द जाति ब्राहमण निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
34. निरंजन लाल पुत्र केवलानन्द
35. राजकुमार
36. सुरेश कुमार पुत्रान केवलानन्द जाति ब्राहमण निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
37. आई.सी.आई.सी. आई. बैंक शाखा खान्दवा जरिये शाखा प्रबंधक तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
38. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
39. झुंझुंनू केन्द्रिय सहकारी बैंक लि0 शाखा सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
40. तहसीलदार, बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.) सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– **दिनांक** 29/9/22

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्नप्रकार से पेश है–

1. यह कि ग्राम खान्दवा तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता स0 316 के ख0न0 17 रकबा 0.46है0 ख0न0 354 रकबा 0.30है0 ख0न0 98 रकबा 0.26है0 भूमि में वादीगण व प्रति0 स0 33 ल0 36 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 भाग भूमि के रिकोर्डेड खातेदार कास्तक[illegible] रिकार्ड है उक्त भूमि पर वादीगण व प्रति0 स0 33 ल0 36 का ख0न0 1[illegible] 98 [illegible] कब्जे कास्त है जिसकी सीमायें प्रतिवादीगण द्वारा खुर्द बु[illegible] गई है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड [illegible] ने दिनांक 22.11.2018 को तहसीलदार बुहाना के आदेश क्रमांक 20/2[illegible]4/2018 के पालना में भूमि ख0न0 17 रकबा 0.46है0 ख0न0 98 रकबा 0.26है0 भूमि का पटवारी हल्का खान्दवा द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:27 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

सीमाज्ञान किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण सन्तुष्ट नही हुए तथा पटवारी हल्का द्वारा किये गये सीमाज्ञान के चिन्हो को खुर्द बुर्द कर दिया है।

3. यह कि भूमि ख0न0 17 व 98 के सीमाज्ञानों को खुर्द बुर्द होने के कारण वादीगण को काफी हकतलबी है वादीगण ने जब प्रतिवादीगणों को रोका तो प्रतिवादीगण वादीगण के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे।
4. यह कि भूमि ख0न0 17 के उतर में ख0न0 19 रकबा 0.39 है0 व ख0न0 677/19 रकबा 0.28है0 भूमि स्थित है। जिसके पक्षकार प्रति0स0 1 लगा0 11 है। जिसको वादीगण ने पक्षकार बनाया है।
5. यह कि भूमि ख0न0 17 व 98 के पूर्व दिशा में ख0न0 16 रकबा 1.01है0 भूमि स्थित है जिसके खातेदार प्रति0स0 12 लगा0 19 है जिनको वादीगण ने पक्षकार बनाया है भूमि ख0न0 98 के दक्षिण में भूमि ख0न0 99 रकबा 1.21है0 भूमि स्थित है जिसके खातेदार प्रति0 स0 20 लगा0 29 है जिनको वादीगण ने पक्षकार बनाया है।
6. यह कि भूमि ख0न0 17 व 98 के पश्चिम में भूमि ख0न0 20 रकबा 0.09है0 व ख0न0 97 रकबा 1.26है0 भूमि स्थित है। जिसके खातेदार प्रति0 स0 20 है।
7. यह कि प्रति0 स0 31 लगा0 33 ऋणदाता है जो कि आवश्यक पक्षकार है तथा प्रति0 स0 34 भूमिधारक है जो कि आवश्यक पक्षकार है इसलिए वादीगण ने उन्हे भी पक्षकार बनाया है।
8. यह कि प्रति0 स0 1 लगा0 30 के द्वारा दिनांक 22.11.2018 को पटवारी हल्का द्वारा किये गये सीमाज्ञान के चिन्हो को खुर्द बुर्द करने के कारण व प्रतिवादी स0 1 लगा0 30 द्वारा वादीगण के साथ लड़ाई झगड़ा करने व वादीगण के सीमा चिन्हों को खुर्द बुर्द होने के कारण वादीगण को यह दावा पत्थर गढी पेश करना आवश्यक हुआ है जोकि सावधि पेश है।
9. यह कि विवादीत भूमि वाके ग्राम खान्दवा तहसील बुहाना में स्थित होने के कारण सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।
10. यह कि वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।
11. यह कि वाद पत्र सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ वादी का शपथ पत्र भी संलग्न है।

अतः वाद पत्र पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके ग्राम खान्दवा बुहाना में स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता स0 316 के ख0न0 17 रकबा 0.46है0 ख0न0 98 रकबा 0.26है0 भूमि का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.11.2018 के श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश क्रमांक 20/26/4/2018 की पालना के अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश फरमाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 316 ग्राम खान्दवा, नकल नक्शा ट्रेस [illegible] नक्शा पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:27 IST
Reason: Self Attested

बहस योग्य विद्वान अधिवक्ता [illegible] गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन [illegible] किया गया। ग्राम खान्दवा की जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 316 [illegible] की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। दिनांक 22.11.2018 को वादग्रस्त भूमि का करवाया गया मौका सीमाज्ञान के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान विधिवत् रूप से करवाया है। अधिवक्ता वादी ने बहस में कथन किया कि विवादित का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.11.2018 के अनुसार

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करने का तहसीलदार बुहाना को आदेश दिया जावे। अतः सीमाज्ञान दिनांक 22.11.2018 के अनुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी किया जाना विधिसम्मत पाया जाता है।

आदेश

न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम खान्दवा तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 316 के खसरा नंबर 17, 354, 98 कुल किता 3 कुल रकबा 1.02 है. का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.11.2018 के अनुसार पुनः सीमाज्ञान के सम्यक् समाधान उपरान्त वादी के खर्चे पर सीमाचिन्ह, पत्थरगढी कायम कराए जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना पालना कर रिपोर्ट पेश करे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 29/9/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:24:27 IST
Reason: SelfAttested